न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2017

अपीलाण्ट्स

1. तेज सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपुत, निवासी ओर, तहसील आबुरोड़, जिला सिरोही, राजस्थान

रेस्पोडेण्ट्स

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, आबुरोड
2. राजस्थान सरकार अधिशाषी अभियंता, सिंचाई विभाग, सिरोही
3. केसर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपुत निवासी ओर
4. थान सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपुत निवासी ओर
5. सरूप सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपुत निवासी ओर
6. मदन कंवर पुत्री श्री देवी सिंह जाति राजपुत निवासी ओर, तहसील आबुरोड़ जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री नगेन्द्र मेड़तीया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री ऋषि माथुर, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 07/11/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर आबू पर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2013 बउनवान देवी सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ग्राम ओर के खसरा संख्या 1062 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1064 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1068 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा कुल कित्ता तीन रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा कृषि आराजी आई हुई है, उक्त कृषि आराजी अपीलाण्ट के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की आराजी थी। उक्त कृषि आराजी काला, दांता सिंचाई परियोजना के लिए भूमि आवाप्ति की कार्यवाही हुई, जिसमें उक्त आराजी रेस्पोडेण्ट संख्या दो के नाम से राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज की गई। अपीलाण्ट की उक्त भूमि काला, दांता सिंचाई परियोजना क्षैत्र के अन्तर्गत नहीं आने के कारण भूमि का कब्जा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा कभी भी अपीलाण्ट से प्राप्त नहीं किया तथा न हीं अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा कभी भी दखलंदाजी की गई। अपीलाण्ट की उक्त भूमि बांध के निर्माण के बाद डुब क्षैत्र(केचमेंट एरिया) में नहीं आने तथा उक्त आराजी डुब क्षैत्र से बाहर होने से उक्त परियोजना का हिस्सा नहीं था। सिचांई परियोजना का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अपीलाण्ट की आराजी परियोजना का हिस्सा नहीं होने से अपीलाण्ट ने आवेदन प्रस्तुत कर उक्त आराजी को पुनः वादी के नाम से दर्ज करने हेतु निवेदन किया, जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने अपने पत्र क्रंमाकः लेखा/11/6541–42 दिनांक 13.07.2011 के द्वारा उक्त भूमि विभाग के उपयोग में नहीं आने से वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया परन्तु स्वयं द्वारा भूमि अपीलाण्ट के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं हो सकी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाण्ट के वाद को खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम की गई थी, लेकिन तनकी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित निर्णय का मुख्य आधार यह था कि उपशासन सचिव महोदय राजस्व (ग्रुप–3) विभाग जयपुर के पंत्राक प0(300)/राज–3/04 दिनांक 25.06.2006 अनुसार खारिज किया है। उक्त परिपत्र को गलत तरीके से पढकर वाद को खारिज किया है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 13.07.2011 तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब महत्वपूर्ण है, जिसमें उनके द्वारा उक्त आराजी वाद के जरिये वादी के नाम से किए जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब व दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर साक्ष्य विवेचन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी पी सी को गलत व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

विधि विरूद्ध आदेश पारित कर खारिज किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित करावें तथा रेस्पोडेन्ट को अपीलाण्ट के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। ग्राम ओर के खसरा संख्या 1062 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1064 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1068 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा कुल कित्ता तीन रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट के पिता देवी सिंह पुत्र हिम्मत सिंह के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अवश्य रही है लेकिन वर्ष 2001 में राज्य सरकार के आदेशानुसार उक्त कृषि भूमि काला दाता सिंचाई परियोजना के लिए आवाप्त की गई थी और आवाप्ति की कार्यवाही के दौरान उक्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि भी अपीलाण्ट के पिता को अदा कर दी गई थी उसके बाद ही उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 02 जल संसाधन खण्ड(सिचाई विभाग) के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार अंकित हुआ है। उक्त भूमि आज भी उक्त बांध के लिए रिर्जव रखी हुई है क्योंकि भविष्य में कभी भी होने वाली प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि या अन्य कारण से बांध जिर्णोद्धार व रिपेयरिंग कार्य इत्यादि के लिए मिट्टी की आवश्यकता होने पर वर्णित भूमि के अलावा विभाग के पास अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट को उक्त भूमि की सम्पूर्ण राशि पहले ही अदा की जा चुकी है वर्तमान में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ही उक्त भूमि के खातेदार स्वामी है और उक्त भूमि विभाग के कब्जे की ही भूमि है। आवाप्त की गई भूमि की खातेदारी अपीलाण्ट के नाम से राजस्व रेकर्ड में पुनः ईन्द्राज किया जाना कतई सम्भव नहीं है इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्णय पारित किया है जिसका उल्लेख राजस्थान सरकार, राजस्व(ग्रुप) विभाग के परिपत्र प0(300)/राज–3/04/ दिनांक 25.06.2005 में स्पष्ट रूप से किया हुआ है कि आवाप्त की गई भूमि की खातेदारी पुनः पूर्व के खातेदार के नाम से नहीं की जा सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने उक्त अपील अन्दर म्याद 60 दिन प्रस्तुत नहीं की है जिससे अपीलाण्ट की अपील खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

2012(1) WLC (SC) Civil 32 Supreme Court Of INDIA-

Adverse Possession- Law Reform- In view of urgent need for a fresh look of law of adverse posession, Parliament should either abolish or, at least amend, this- On facts, claim of adverse possession as dismissed by trial court upheld.

2011 (2) RRT 721:- Board Of Revenue for Rajasthan, Ajmer (FULL BENCH)-

Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sec. 232- Limitation Act, 1963 Article 64&65- Reference- Khatedari right whether can be conferred on the basis of the adverse possession- Provisions of Limitation Act have limited applicability to matters relating to Tenancy Act- No provision to confer tenancy rights on the basis of the adverse possession & Courts can not conferred the tenancy rights- BOR has no legislavtive power to lay down a new- Held, No tenancy rights can be conferred on the basis of adverse possession.

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.2016 को पारित की गई है तथा निर्णय पारित होने के 83 दिन पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 228(2) में उल्लेखित प्रावधान को उद्भूत किया जाना प्रासंगिक है जिसके अनुसार–

"जिस डिक्री या आज्ञा के विरूद्ध आपत्ति हो उसकी तारीख से 60 दिन समाप्त हो जाने के बाद उसकी कोई अपील (राजस्व अपील प्राधिकारी) को नहीं होगी।"

उपरोक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 228(2) के अनुसार अपीलाधीन आदेश की अपील न्यायालय हाजा में 60 दिवस के भीतर होनी आवश्यक थी, जबकि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील 83 दिन बाद पेश की गयी है।

अपील दायर करने में विलम्ब का शमन करने हेतु विधि में प्रावधान उपलब्ध है। इस संबंध में परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार पक्षकार अपील के दाखिले हेतु निर्धारित परिसीमा के अन्तिम दिन तक इन्तजार करने के लिए स्वतंत्र है परन्तु जब परिसीमा समाप्त हो जाती है तो उसे परिसीमा अधिनियम की धारा 5 द्वारा अपेक्षित पर्याप्त कारण को स्थापित करना होता है, इस हेतु अपीलाण्ट को अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

पेश करने के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक था। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा विलम्ब अवधि के शमन हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद शुमार नहीं की जा सकती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को म्याद बाहर होने से खारिज किया जाता है, न्यायालय सहायक कलेक्टर आबू पर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 65/2013 बउनवान देवी सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही